# डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्याःसम्ब0/ 50 /24 दिनांकः— 12/07/24

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,

राजवीर सिंह सिकरवार कालेज, सैदपुर, बल्देव, मथुरा (कालेज कोड—840)

विषयः—राजवीर सिंह सिकरवार कालेज, सैदपुर, बल्देव, मथुरा को विज्ञान एवं प्रबंन्धन संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एससी0 (बायो/मैथ) पाठ्यक्रम में सत्र 2024—25 में सम्बद्धता विस्तारण/प्रवेश की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या सम्ब0/1148/सत्तर—2—2014—16(258)/2013 दिनांक 01 अगस्त, 2014 के अनुपालन में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 05.06.2022 के निर्णयानुसार सम्बद्धता शुल्क जमा होने के उपरान्त **माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 01.07.2024 द्वारा विज्ञान एवं प्रबंन्धन संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एससी0 (बायो/मैथ)** स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक **सत्र 2024—25** में सम्बद्धता विस्तारण/प्रवेश की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी गयी है साथ ही संस्था शासनादेश/विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर निर्धारित मानकों/नियमों को पूर्ण करती रहेगी।

1. शिक्षक एवं प्राचार्य अनुमोदित नहीं हैं। 2. अग्निशमन प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

यह अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगीः—

1. संस्था शासनादेश संख्या 2851/सत्तर—2—2003—16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. यदि संस्था/प्रबन्ध तन्त्र द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेशों में वर्णित तथा शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उसकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापिस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या 421/सत्तर—1—2015—16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रकिया सुनिश्चित की जायेगी।
5. महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम हेतु अर्ह एवं अनुमोदित शिक्षको की उपलब्धता/निरंतरता सुनिश्चित की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।
6. महाविद्यालय सत्र 2024—25 से प्रत्येक दशा में समर्थ पॉर्टल पर डाटा अपलोड़ एवं सम्बन्धित कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण करेगा।

भवदीय

12/7/24

कुलसचिव

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित।

1. प्रभारी कुलपति सचिवालय— मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
3. परीक्षा नियंत्रक।
4. उप/सहायक कुलसचिव (सम्बद्धन/परीक्षा)।
5. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

RP686